

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020-21/२१७५

दिनांक :- १२/११/२०२१

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी  
राजकीय/निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय :- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के आवेदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्व में प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित महाविद्यालय जांच कर जिला नोडल अधिकारी को अग्रेषित करें।

राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत इन्टिग्रेटेड कोर्सेज (B.A-B.ED/ B.SC.-B.ED/ B.COM-B.ED/ B.A-LLB/ B.COM-LLB/ B.SC-LLB etc.) के विद्यार्थियों के योजना में प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावें तथा कोविड-19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बिना प्राप्तांक प्रतिशत उत्तीर्ण से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आगामी कक्षा में अध्ययनरत (Promote) विद्यार्थियों के प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकृत नहीं किये जावें।


योजना के नियम विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Online Scholarship लिंक पर अवलोकन करावे।

  
(संदेश नायक)  
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान  
जयपुर

क्रमांक: एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020-21/२१७५  
प्रतिलिपि-प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

दिनांक :- १२/११/२०२१

  
वित्तीय सहायक  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान  
जयपुर